पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

आई एस ओ 9001 2015 प्रमाणित कंपनी • ISO 9001:2015 Certified Company
महारत्न कंपनी • A Maharatna Company

पश्चिम क्षेत्र -I / WESTERN REGION - I

द्वारा:- रजिस्टर्ड पोस्ट/पावती
संदर्भ संख्या: प.क्षे.पा.प्र.-1/पी.एम.एस./216

दिनांक:02.12.2021

सेवा में,
श्री देवराम साहू,
जाकत तेली निवासी, ग्राम बगबुड़ा,
उपतहसील - लवन ,जिला बलौदा बाजार ,
भाटापारा (छ.ग.),पिन कोड – 493526
मोबाइल 9009690088 –, 7974899923

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी ।

महोदय,

आपका पत्र दि. 11.11.2021 जो इस कार्यालय में दिनांक: 16.11.2021 को प्राप्त हुआ है, आरटीआई आवेदन द्वारा चाही गयी जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ़ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम के द्वारा छतीसगढ़ राज्य मे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना पश्चिम क्षेत्र राजगढ छतीसगढ़ और दक्षिण पुगलुर तमिलनाडु के बीच एच.वी.डी.सी. बाई पोल लिंक पारेषण प्रणाली के अंतर्गत 800 के वी एच.वी.डी.सी राजगढ - पुगलुर संचरण लाईन का निर्माण किया गया है । यह परियोजना भारत सरकार द्वारा पत्र क्र 052 /11 PGCLI/2015-PSPS PA-11 दिनांक 24/09/2015 के माध्यम से विधुत अधिनियम 2003 की धारा 68-1 के तहत पूर्व मे अनुमोदन प्राप्त कर यह संचरण पथ गाव बगबुड़ा खसरा नं 46/03 टावर क्र 66 ए 3, मेरे जमीन पर 800 के वी का टावर लगा है टावर लगाते समय मेरे बिना जानकारी के उक्त भूमि पर लगे हरे फलदार पेड़ो को काटा गया है ।		
क्र.	चाही गयी जानकारी	जवाब
1.	उक्त कितने पेड़ काटे गए, उनकी संख्या व पेड़ों के विवरण व सत्य प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करें व पेड़ों के मुआवजा के निर्धारण का सत्य प्रतिलिपि प्रदान करवाने कि कृपा करेंगे ।	भूमि स्वामित्व के लिए श्री देव राम साहू एवं उनके चाचा श्री राम लाल के मध्य विवाद का प्रकरण अभी द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , बलौदा बाज़ार (छतीसगढ़) एवं अनुविभागीय अधिकारी ,बलौदा बाज़ार मे विचाराधीन है । तथा इस संबंध मे अभी तक कोई आदेश प्राप्त नही हुआ है मा. अनुविभागीय अधिकारी, बलौदा बाज़ार से पत्र दिनांक 13/10/2021 के दतारा पुन; उक्त प्रकरण के निराकरण के लिए निवेदन किया है जिसका अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है । अत: जब तक द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , बलौदा बाज़ार (छतीसगढ़) या अनुविभागीय अधिकारी से भूमि स्वामित्व हेतु कोई निर्देश/आदेश प्राप्त नही होता है तब तक इस प्रश्न्न से संबन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी को पावर ग्रिड द्वारा साझा नही किया जा सकता है।
2	उक्त स्थल पर मेरे द्वारा 06 कमरे का नींव डाला जा चुका है, जिसके मुआवजा के निर्धारण की सत्य-प्रतिलिपि प्रदान करवाने की कृपा करेंगे ।	उपरोक्तनुसार

पावरग्रिड

संदर्भ संख्या: प.क्षे.पा.प्र.-1/पी.एम.एस./216 **दिनांक:02.12.2021**

3	उक्त स्थान पर 26 साल पूर्व एक कमरे का मकान बना हुआ है। साथ ही कुआं के मुआवजा के निर्धारण की सत्य-प्रतिलिपि प्रदान करवाने की कृपा करें ।	उपरोक्तनुसार
4	साथ ही उक्त स्थल पर लगे आलू-प्याज के फसल को इंजीनियर कुन्दन के द्वारा बर्बाद कर दिया गया जिसके मुआवजा के निर्धारण की सत्य प्रतिलिपि प्रदान करवाने की कृपा करेगे ।	उपरोक्तनुसार
5	उक्त भूमि का कुल मुआवजा का निर्धारण की सत्य प्रतिलिपि प्रदान करवाने की कृपा करेंगे ।	उपरोक्तनुसार

उपरोक्त जानकारी से संबंधित यदि आपको कोई अपील करना हो तो उसे पीआईओ के उत्तर की प्राप्ति से 30 दिनो के भीतर अपीलीय अधिकारी को किया जा सकता है ।

अपीलीय अधिकारी का पता-
श्री. एस.रविंदर कुमार, कार्यपालक निदेशक प.क्षे.-1
पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ,
पश्चिम क्षेत्र-1, सम्प्रीति नगर, नारीरिंग रोड,
पोस्ट -उप्पलवाडीनागपुर - 440026
दूरध्वनीक्रमांक-0712-2641470

(पंकज दलाल)
जन सूचना अधिकारी
पावरग्रिड, पश्चिम क्षेत्र -1, नागपुर
दूरध्वनीक्रमांक 0712- 2641484
ईमेल : pankajdalal@powergridindia.com

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ:

1) कार्यपालक निदेशक पश्चिम क्षेत्र -1
2) उपमहाप्रबंधक,(भाटापारा)